

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 18.09.2020 जनपद देवरिया।

भूमाफिया राम प्रवेश यादव के विरुद्ध बड़ी कारवाई कुल 16 करोड़ की सम्पत्ति की गई कुर्क

आज दिनांक 18.09.2020 को जनपद देवरिया के भूमाफिया राम प्रवेश यादव पुत्र जगत नारायण यादव निवासी अमेठी (देवरिया खास) थाना कोतवाली, जनपद देवरिया के विरुद्ध गिरोह बन्द अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा बड़ी कार्यवाही की गयी। इस अधिनियम के अन्तर्गत उक्त अभियुक्त की कुल 16 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली गयी है तथा इस संपत्ति को कस्टोडियन तहसीलदार सदर जनपद देवरिया के अधीन सुपुर्द कर दिया गया है। इस संपत्ति को कब्जा करते समय दुग्गी पिटवा कर उद्घोषणा करा कर सार्वजनिक रूप से जनता को इस कार्यवाही से अवगत कराया गया। जिसकी क्षेत्र में भूरी-भूरी प्रशंसा की गई।

कुर्क संपत्ति का संक्षिप्त विवरण:-

01. भूमि/प्लॉट 21
02. भवन/इमारत 02
03. ईट का भट्टा 01
04. पोल्ट्री फार्म 03
05. अण्डा फार्म 01
06. चार पहिया वाहन 03 (फॉरचूनर, स्कार्पियो, ट्रैक्टर)
07. दो पहिया वाहन 04

उपरोक्त कुल सम्पत्ति की कीमत 16 करोड़ रुपये है।

